न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– **श्री कालूराम खौड आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या. 37 / 2017

किस्म :– प्रार्थना–पत्र

दायर दिनांक : 18.04..2017 **निर्णय दिनांक: 11.06.2018**

1. श्री सरदारसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत
2. श्री सार्दुलसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत
3. श्री वदनसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत

निवासीयान साकरोदा तहसील आमेट जिला राजसमंद

..........................**प्रार्थीगण**

–:बनाम:–

1. श्री सुल्तानसिह पिता स्व. श्री रायसिंह जी जाति राजपुत
2. श्री बलवन्त सिंह पिता स्व. श्री रायसिंह जी जाति राजपुत
3. श्रीमती भंवरकंवर बेवा स्व. श्री रायसिंह जी जाति राजपुत
4. श्री मोहनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत

   निवासीयान साकरोदा तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद

..........................**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251 (क) आर.टी.एक्ट

प्रार्थीगण की और से :– अधिवक्ता श्री प्रमोद लक्षकार

अप्रार्थीगण की ओर से :– –

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गता धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा तहसील आमेट जिला राजसमंद में वादी के हक अधिकार की भूमि आराजी संख्या 357 व 358 स्थित है। ग्राम साकरोदा मे ही विपक्षीगण के हक अधिकार की भूमि आराजी नम्बर 328 रकबा 0.2900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि विपक्षगण संख्या 1, 2, 3 के पूर्वाधिकारी रायसिंह के खाते दर्ज है और रायसिंह का देहान्त हो गया है इसलिए उनके पुत्रो को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण की आराजी में जाने का एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की खातेदारी भूमि से होकर जाता है, उक्त रास्ता आराजी नम्बर 328 के पूर्व की तरफ किनारे किनारे होता हुआ सीधा आराजी नम्बर 346 में जाता है और आराजी नम्बर 346 से होकर आराजी संख्या 353 पाल से होता हुआ प्रार्थीगण के खेतो में जाता है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण व उनके पूर्वाधिकारी वर्षो से कर रहे है ओर इसमें विपक्षीगण के पूर्वाधिकारियो को कोई आपति नही थी। वर्तमान में उक्त रास्ता सकडा कर विपक्षीगण द्वारा मात्र 6 फीट का रख दिया है गया है। उक्त रास्ता वर्तमान में 6 फीट का होकर प्रार्थीगण व आगे सभी खेतो वाले उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते है। अतः निवेदन है कि आराजी संख्या 328 में स्थित रास्ता जिसका विवरण किया गया

8

Scanned by CamScanner

है जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है उसे 6 फीट से बढाया जाकर 20 फीट चौडा किया जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। दोराने कार्यवाही पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पनोतिया मे पेश हुई। जहां तहसीलदार आमेट से इस बाबत रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण आराजी नम्बर 328 मे रास्ता चाहते है, परन्तु 328 खातेदारी भूमि है, जो मौके पर बंद है। आराजी नम्बर 357 व 358 में जाने बाबत रेकर्ड में आराजी नम्बर 320 बिलानाम रास्ता दर्ज है। आराजी नम्बर 357 व 358 व 320 के बीच में आराजी नम्बर 360 हैं जिसमे वादीगण का हिस्सा दर्ज है जिसमें से जा सकते है।

पत्रावली व तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को अपनी आराजी 357 व 358 में आने–जाने हेतु आराजी नम्बर 320 मे से रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थीगण की आराजी मे से रास्ता मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने व एन्जोयमेंट के लिये चाहा गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट का खारिज योग्य पाये जाने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पनोतिया में मजमे आम में सुनाया गया।

(कालूराम खौड)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
आमेट
जिला राजसमंद

Scanned by CamScanner